भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

आर0ई0आर0 वाद सं0–21/2012–13

सुनीता देवी.....वादी

बनाम्

आशा मुर्मू.....प्रतिवादी

–:आदेश:–

18/3/23

अभिलेख उपस्थापित। दोनो पक्ष अनुपस्थित रह रहे है। यह वाद सुनीता देवी, पति–विक्रम सिंह उर्फ विक्रम गंधर्व है निर्मला देवी पति–राधवेन्द्र प्रसाद माता किस्टो देवी, दोनो मुहल्ला गंगटा (काली मंदिर के पास) थाना गोड्डा नगर जिला गोड्डा ने विपक्षी गण के विरूद्ध मौजा गंगटाखुर्द थाना नं0–515 जमाबंदी 78 दाग नं0–1045 रकवा–00–00–10 धूर जमीन से विपक्षी गण को उच्छेद करने का आवेदन दाखिल किया है।

प्रस्तुत वाद में वादी का कथन है कि जमाबंदी नं0–78 की जमीन जमाबंदी रैयत राज कुमार खेलड़ा वो शीलामती पेसरान भागन खेलड़ा वगैरह खेलड़ा के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। विपक्षी गण अवैध रूप से दखलकार है। उन्हे उक्त जमीन से उच्छेद किया जाय। विपक्षीगण के द्वारा इस वाद में कारण पृच्छा दाखिल नही किया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर का पत्रांक–1142/रा0 दिनांक–19.06.2018 से प्रतिवेदित किया है कि स्थलीय जॉच में पाया कि दाग नं0–1045 के अन्दर द्वितीय पक्ष आशा मुर्मू पति–चुनका मुर्मू, रकवा–00–00–10 धुर जमीन पर ईट खपरैल का मकान बनाकर सपरिवार के साथ रह रही है। द्वितीय पक्ष जमाबंदी रैयत का उनके साथ कोई संबंध नही है। एस0पी0टी0एक्ट की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। दोनो पक्षो के द्वारा सुलह नामा आवेदन दिनांक–12.06.2018 को दिया गया है। इस वाद में उभय पक्षो के बीच समझौता हो गया है। उभय पक्ष केश लड़ना नही चाहते है सुलह नामा आवेदन स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। मकान वाली जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागू नहीं हो सकता है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातो एवं सुलहनामा आवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का मकान बना हुआ है। दखल कार है। जिस नाते प्रश्नगत वाद में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–20 एवं 42 के तहत आवेदिका का आवेदन चलने योग्य नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापा एवं शुद्ध किया

18-3-23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

18-3-23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 14:17:50 +05:30
Location: 192.168.29.124